डॉ. किरोड़ी मीणा ने ईडी के दफ्तर जाकर घोटाले के सबूत सौंपने का दावा किया

डॉ. मीणा ने आई.टी. विभाग में 5000 करोड़ रुपये के गबन का आरोप लगाया

जयपुर। राजस्थान से राज्यसभा सांसद डॉ.किरोड़ीलाल मीणा ने बुधवार को ईडी दफ्तर पहुंचकर राजस्थान में 5000 करोड़ रुपए के नए घोटाले के सबूत पेश करने का दावा किया है। उन्होंने हाल ही डीओआईटी के ऑफिस की अलमारी से मिली करोड़ों रुपए की नकदी को लेकर सबूत भी सौंपे। सूचना एवं प्रोद्योगिकी विभाग के दफ्तर में सवा 2.31 करोड़ की नकदी और सोने की ईंट मिलने के बाद गहलोत सरकार भ्रष्टाचार के आरोपों से घिर गई है। भाजपा ने सरकार पर हजारों करोड़ रुपए के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए हैं। राज्यसभा सांसद डॉ. किरोड़ीलाल मीणा ने राज्य सरकार के आईटी डिपार्टमेंट में 5000 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया है। बुधवार को डॉ. मीणा जयपुर स्थित प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दफ्तर पहुंचे। करीब 20 से 25 मिनट तक ईडी के जॉइंट डायरेक्टर के साथ चर्चा की। बाद में मीडिया से बात करते हुए डॉ. मीणा ने दावा किया कि उन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ इंफोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी (डीओआईटी) में हुए 5 हजार करोड़ रुपए के गबन से सबूत ईडी को सौंपे हैं। साथ ही कार्रवाई की मांग की है।

राज्यसभा सांसद डॉ.किरोड़ीलाल मीणा बुधवार को ईडी दफ्तर पहुंचे।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को डॉ. किरोड़ीलाल ने सीधे निशाने पर लिया है। सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग मुख्यमंत्री के पास है। डॉ. मीणा ने इस डिपार्टमेंट में हजारों करोड़ रुपए के घोटाले के आरोप लगाए हैं। डॉ. मीणा ने कहा कि सीएम

■ 'सीएम अशोक गहलोत के रिश्तेदार 3500 करोड़ रुपए के घोटाले में हिस्सेदार रहे है जो कि राजकॉम कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत है'

अशोक गहलोत के रिश्तेदार 3500 करोड़ रुपए के घोटाले में हिस्सेदार रहे हैं जो कि राजकॉम कंपनी में मैनेजर के पद पर कार्यरत हैं। यही रिश्तेदार सीएमओ और सीएमआर में काम भी देखते हैं। डॉ. मीणा के मुताबिक आईटी का काम राजेश सैनी देखते हैं। सारे बिल राजेश सैनी की बेटी रुचि सैनी के नाम से उठते हैं। इन सबके सबूत ईडी के जॉइंट डायरेक्टर को सौंप दिए गए हैं।

डॉ. मीणा ने कहा कि डिपार्टमेंट ऑफ इंफोर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी में पिछले साढ़े चार साल से घोटाले हो रहे हैं। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों की शिकायत तीन साल पहले एसीबी को मिली थी। एसीबी के तत्कालीन डीजी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र भेजकर 17 ए के तहत जांच की अनुमति मांगी थी लेकिन मुख्यमंत्री द्वारा जांच की अनुमति नहीं दी गई। इस संबंध में परिवादी ने राजस्थान हाईकोर्ट में भी परिवाद दर्ज कराया था। आज ईडी के अधिकारियों को एसीबी द्वारा सरकार को लिखे गए पत्र और हाईकोर्ट में दर्ज कराए गए परिवाद की प्रतिलिपि भी दी गई है। ईडी में यह परिवाद जितेन्द्र सिंह के नाम से दर्ज कराया गया है।

'बाहर से दवा मंगवाने और जांच करवाने की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए'

जयपुर। चिकित्सा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने निर्देश दिए हैं कि फील्ड से यह शिकायत प्राप्त नहीं होनी चाहिए कि कोई चिकित्सक मरीज से बाहर से दवा मंगवा रहे हैं या बाहर से जांच करवा रहे हैं। सिंह बुधवार को स्वास्थ्य भवन में सभी संयुक्त निदेशकों, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारियों तथा डिप्टी सीएमएचओ से फीडबैक प्राप्त करने के लिए आयोजित बैठक को सम्बोधित कर रही थी।

उन्होंने कहा कि सरकार के संस्थानों में पर्याप्त दवाइयां और जांचें उपलब्ध है, जो सभी प्रदेशवासियों के लिए पूर्णतः निःशुल्क है। ऐसे में मरीज से बाहर से दवा मंगवाने एवं बाहर से जांच करवाने का कोई औचित्य नहीं है। अगर कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जायेगी।

■ अगर कोई शिकायत मिलती है तो संबंधित के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जायेगी : शुभ्रा सिंह

अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कहा कि राजकीय चिकित्सा संस्थानों में जनता के हितों से जुड़ी सुविधाओं के विस्तार के लिए आरएमआरएस फंड का सदुपयोग करें, ताकि संस्थानों की व्यवस्थाएं सुचारू एवं दुरूस्त रहें। उन्होंने कहा कि जिला कलेक्टर से समन्वय स्थापित कर डीएमएफटी फंड का इस्तेमाल चिकित्सा संस्थानों के विस्तार के लिए किया जाए। उन्होंने नवसृजित जिलों में चिकित्सा संस्थानों के लिए यथाशीघ्र भूमि चिन्हित करवाकर भूमि आवंटन की प्रक्रिया को पूरा करवाने के निर्देश संबंधितों को दिए। सिंह ने कहा कि प्रदेश के 101 संस्थानों को भारत सरकार से गुणवत्ता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुका है, लेकिन यह आंकड़ा हमारे प्रदेश के लिए नाकाफी है। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी अपने जिलों में टीमवर्क करते हुए इस 101 के आंकडे को इस वर्ष बढ़ाकर 1000 करवायें। उन्होंने निर्देश दिए कि जिले के कोई भी अधिकारी न तो किसी कार्मिक को डेप्यूटेशन पर लगाये और न ही समायोजन करें।

बाहर के अभ्यर्थियों के आवेदन स्वीकार करने के आदेश

जयपुर, (का.सं.)। राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को आदेश दिए हैं कि वह प्रदेश से बाहर मूल निवास करने वाले अभ्यर्थियों को लैब टेक्नीशियन और असिस्टेंट रेडियोग्राफर भर्ती प्रक्रिया में शामिल करे। अदालत ने कहा कि संबंधित प्राधिकारी अदालत के इस आदेश को वेबसाइट पर सार्वजनिक करने के साथ ही दैनिक समाचार पत्रों में भी इस बारे में सूचना प्रसारित करे। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि ऐसे अभ्यर्थियों को हाईकोर्ट में अलग से याचिका पेश करने की भी जरूरत नहीं है। वहीं अदालत ने मामले में राज्य सरकार और राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल से जवाब तलब किया है। जस्टिस सुदेश बंसल और अवकाशकालीन न्यायाधीश आशुतोष कुमार की खंडपीठ ने यह आदेश प्रीति व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए।

याचिका में अधिवक्ता हिमांशु जैन ने अदालत को बताया कि राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल ने गत 16 फरवरी को नियमों में संशोधन कर प्रावधान कर दिया कि राजस्थान का मूल निवासी ही कौंसिल में पंजीकृत हो सकता है। इस प्रावधान को अन्य याचिका में चुनौती दी हुई है।

समुदाय विशेष के लोगों ने माणक चौक थाने पर प्रदर्शन किया

राजधानी के माणक चौक इलाके के जौहरी बाजार में एक रैली के दौरान समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने और हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग के लेकर बुधवार को थाने पर प्रदर्शन किया गया।

जयपुर (कासं)। राजधानी के माणक चौक इलाके के जौहरी बाजार में एक रैली के दौरान समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने और हथियार लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद आरोपियों पर कार्रवाई की मांग के लेकर बुधवार को थाने पर प्रदर्शन किया गया। दौरान आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई।

जालूपुरा निवासी रफीक खान ने माणक चौक थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। उसने पुलिस को बताया कि दो-तीन दिन पहले करणी सेना की रैली निकली थी। जिसमें कुछ लोग समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक नारे लगाने के साथ हथियार लहराते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा इस कृत्य से सम्प्रदायिक सदभाव खराब होता है। इस संबंध में विधायकपुरी थाने में भी एक मामला दर्ज कराया गया। वहीं हथियार लहराने का वीडियो जौहरी बाजार का होने के कारण इस संबंध में रिपोर्ट माणक चौक थाने में दी गई है। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इससे पहले इस घटना के विरोध में काफी संख्या में समुदाय विशेष के लोग माणक चौक थाने पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तार की मांग करते हुए प्रदर्शन किया। इस दौरान पुलिस का जाब्ता

गहलोत कहें कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूं, कल ही नक्शा पलट जाएगा : भरतसिंह

जयपुर, (का.प्र)। कांग्रेस विधायक भरत सिंह ने कहा कि मेरे सुझाव पर चलेंगे तो सरकार रिपीट होगी। मेरा मानना है कि गहलोतजी खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंच पर आएं और कहें कि मैं मुख्यमंत्री का दावेदार नहीं हूं, नए लोगों को आगे करूंगा, कल ही नक्शा पलट जाएगा, लेकिन सत्ता का मोह छूटे तब है। प्रदेश कांग्रेस के वार रूम में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिलकर आने के बाद पार्टी के वरिष्ठ विधायक भरत सिंह ने मीडिया से कहा कि मुख्यमंत्री को अपने बेटे को विधायक बनाना चाहिए, लेकिन यह माया है, माया छूटती नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें किसी ने सलाह नहीं दी कि चुनाव मत लड़ो, यह बात खुद ही बोल रहे हैं। भरत सिंह ने कहा कि वो चाहते हैं कि चुनाव में अब युवाओं को आगे आने दिया जाए। मुख्यमंत्री गहलोत भी अपने बेटे को आगे करें, विधायक बनाएं, लेकिन नए लोगों को आगे आने दें। अगर इस सुझाव पर चलेंगे तो सरकार रिपीट होगी।

हालांकि भरतसिंह के बयान में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर रंधावा से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बड़ी उम्र वालों को तो अपने आप ही त्याग देना चाहिए, कहने की तो जरूरत ही नहीं पड़नी चाहिए। नेताओं को आप ही माइलस्टोन बनना चाहिए। वैसे कट ऑफ एज पॉलिटिक्स में नहीं हो सकती। रंधावा ने कहा कि यूथ को हमारी पार्टी साथ लेकर चलती है और धीरे-धीरे उनको आगे भी करती है।

इससे पहले बुधवार को जयपुर नगर निगम हेरिटेज के पार्षद भी प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से मिले और उन्हें अभी तक ढाई साल से ज्यादा कार्यकाल होने के बावजूद निगम में समितियां गठित नहीं होने पर अपनी नाराजगी से अवगत कराया। वही प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के मंत्री-विधायक भी मिले और मुख्य रूप से आरक्षण की सीमा बढ़ाने को लेकर अपने सुझाव दिए। मीडिया से बात करते हुए राजस्व मंत्री रामलाल जाट ने कहा कि पहले न्यायालय की एक सीमा थी, इस कारण आरक्षण का दायरा नहीं बढ़ सकता था, लेकिन अब वह दायरा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि कई राज्यों में न्यायालय ने छूट दी है। इसलिए यहां भी जिस तरह से ओबीसी के आरक्षण की सीमा 21 से बढ़ाकर 27 करने की मांग उठ रही है, उस पर भी मुख्यमंत्री हम से चर्चा कर रहे हैं और जल्द ही इसका कोई समाधान हो सकता है।

■ रंधावा बोले, ''बड़ी उम्र वालों को अपने आप ही मोह त्याग देना चाहिए, माइलस्टोन बनना चाहिए, वैसे कट ऑफ एज पॉलिटिक्स में नहीं हो सकती

■ उधर मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मंगलवार देर रात तक ईडी की कार्रवाई को लेकर होती रही चर्चा, विरोध को लेकर अभी एकमत नहीं मंत्री

इससे पहले बुधवार रात को राजस्थान में मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने मंत्रियों के साथ देर रात तक चर्चा की। करीब 3 घंटे तक रंधावा, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हर मंत्री से वन टू वन चर्चा की। इस बैठक में मंत्रियों से उनकी चुनावी स्ट्रैटजी के अलावा महंगाई राहत कैंपों के असर के साथ प्रदेश में जारी ईडी की कार्रवाई पर विस्तार से बातचीत हुई।

वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को प्रधानमंत्री मोदी की लीडरशिप में पूरी दुनिया ने देखा : सतीश पूनिया

ताजाकिस्तान/जयपुर। तजाकिस्तान की राजधानी दुशान्बे में 'एविसेना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी' के दीक्षांत समारोह में प्रवासी भारतीय व राजस्थानी स्टूडेंटस को विधानसभा उपनेता प्रतिपक्ष डॉ. सतीश पूनिया ने संबोधित किया। संबोधन में डॉ. पूनिया ने कहा कि, भारत से आया हूं और भारत के उस प्रदेश से आता हूं जिसके बारे में कहा जाता है कि जीवन जहां उत्सव है वह राजस्थान है। इसलिये बहुत सारे स्टूडेंटस जो यहां राजस्थान से पढ़ने के लिये आये हैं और आज से ही नहीं, बहुत लंबे अरसे से आते हैं। एविसेना ताजिक स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी को बहुत धन्यवाद देता हूं कि राजस्थान के स्टूडेंटस को डॉक्टर बनने का अवसर दिया। भारत जी-20 की लीडरशिप कर रहा है और इस जी-20 के दौरान भारत ने जो स्लोगन दिया है, जैसा आपने कहीं पढ़ा होगा कि हम सब लोग भरोसा करते हैं, वसुधैव कुटुम्बकम और इस वसुधैव कुटुम्बकम की भावना को विश्व के लोकप्रिय एवं मजबूत नेता भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लीडरशिप में पूरी दुनिया ने देखा।

■ तजाकिस्तान में मेडिकल स्टूडेंटस के साथ उपनेता प्रतिपक्ष का संवाद

कोविड जैसी भीषण महामारी में भारत ने स्वदेशी वैक्सीन विकसित कर वैक्सीनेशन महाभियान से 220 करोड़ डबल डोज वैक्सीनेशन सुनिश्चित कर केवल अपने देश के लोगों को नहीं बचाया, बल्कि दुनिया के 25 देशों को फ्री वैक्सीन सप्लाई करके वसुधैव कुटुम्बकम की और 'वन अर्थ-वन फैमिली एवं वन फ्यूचर' की भावना को जिंदा रखा है। डॉ. हर्षवर्धन को इस बात के लिये धन्यवाद देता हूं कि मुझे मेरे भारत और राजस्थान के विद्यार्थियों के बीच में आने का अवसर दिया। आप सबको यह सौभाग्य से मानवता की सेवा के लिये डॉक्टरी के पेशे को अपनाने का अवसर मिला। इसलिये डॉक्टर्स के बारे में कहा जाता है कि जब कोई मरीज की जिंदगी बचती है तो लोग कहते हैं यह भगवान हैं। लेकिन उसमें भी विरोधाभास है कि आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर मरीज के प्रति और समाज के प्रति सकारात्मक और उत्तरदायी हो। लोगों ने 100 साल बाद आई कोरोना महामारी में देखा कि पूरी पैनडेमिक से लड़ने के लिये जो फ्रंट वॉरियर्स थे वह डॉक्टर्स, नर्सेज और कम्पाउंडर्स थे, जिन्होंने पूरी दुनिया को बचाने के लिये अपनी जी जान लगा दी।

चार करोना संक्रमित मिले

जयपुर। प्रदेश में बुधवार को चार नए करोना संक्रमित मिले हैं। वहीं इस बीच एक मरीज ठीक भी हुआ है। राज्य में फिलहाल 16 एक्टिव केस मौजूद है।

एक लाख से ज्यादा किसानों की बदहाली कांग्रेस को ले डूबेगी : राजेंद्र राठौड़

'ईडी जांच की आंच से बौखलाई कांग्रेस, सरकारी एंजेंसी के खिलाफ प्रदर्शन वाला गहलोत का बयान शर्मनाक'

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने बुधवार को भाजपा प्रदेश कार्यालय में किसान कर्ज माफी मामले पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि गहलोत सरकार ने किसानों के वोट बटोरकर उनके साथ धोखा किया है। राष्ट्रीयकृत और अनुसूचित बैंकों से करीब 6 लाख किसानों ने लोन लिया था, उनका एक पैसा भी माफ नहीं हुआ। गहलोत सरकार ने किसानों के साथ वन टाईम सेटलमेंट का वादा किया था, लेकिन विधानसभा में सरकार ने जवाब दिया कि प्रदेश में 19 हजार से ज्यादा किसानों की जमीनें नीलाम हुई हैं। इसके अलावा एक लाख तेरह हजार किसानों के खाते एनपीए हो चुके हैं, जिनकी जल्द ही जमीनें नीलाम होने वाली हैं। कर्ज से तंग आकर प्रदेश में किसान आत्महत्या करने को मजबूर हैं, अन्नदाताओं की यह बदहाली कांग्रेस सरकार को ले डूबेगी।

पेपर लीक सहित भ्रष्टाचार के मामलों में ईडी की कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस द्वारा प्रदर्शन करने के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि ईडी ने प्रारंभिक जांच में तथ्यात्मक रूप से यह पाया है कि प्रदेश में ब्लेक मनी का प्रसार हुआ है, ब्लेकमेलिंग के इस खेल में पेपर माफिया सक्रिय है। आरपीएससी मेंबर बाबूलाल कटारा से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि डेढ़ करोड़ रूपए देकर आरपीएससी में सदस्य बनाया गया है। सरकार की सरपरस्ती के चलते आरोपियों के हौसले बुलंद हैं और इन सभी मामलों के तार सरकार से जुड़े हैं।

■ 'राजीव गांधी स्टडी सर्किल सेंटर को रीट पेपर कराने का जिम्मा देना साफ दर्शाता है कि खुद सरकार पेपर लीक कांड में मुख्य आरोपी है'

रीट पेपर लीक मामले में गहलोत सरकार पर सीधे आरोप लगाते हुए नेता प्रतिपक्ष राठौड़ ने कहा कि राजीव गांधी स्टडी सर्किल सेंटर को रीट पेपर कराने का जिम्मा देना साफ दर्शाता है कि खुद सरकार पेपर लीक कांड में मुख्य आरोपी है। इस दौरान उन्होने यह भी कहा कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन धर्मपाल जारोली पूर्व में बयान दे चुके कि मुझे बली का बकरा बनाया जा रहा है, मुख्य आरोपियों को बचाया जा रहा है। सरकार द्वारा मनोनीत आरपीएससी सदस्य बाबूलाल कटारा खुद स्ट्रांग रूम से पेपर आऊट कराते हैं। इस काम में उनके साथ उनके रिश्तेदार तक शामिल पाए गये हैं।

पेपर लीक मामले में फरार आरोपी भूपेंन्द्र सारण का हवाला देते हुए राठौड़ ने कहा कि प्रदेश की सरकार में मंत्रियों के सोशल मीडिया अकाउंट माफिया लोग चला रहे हैं। बिना सरकार की सरपरस्ती के किसी प्रतियोगी परीक्षा का पेपर इस तरह कार्यालय से कैसे निकाला जा सकता है, सरकार की भूमिका संदिग्ध होने की वजह से ये लोग ईडी की जांच से बौखलाए हुए हैं। जैसे जांच आगे बढ़ेगी ऐसे सभी लोग जिन्होंने नौकरी की गारंटी देने के नाम से कोचिंग सेंटर खोलकर बैच बनाए हुए थे, इन सभी पर जांच की आग जरूर आएगी।

तीये की बैठक

अत्यन्त दुःख के साथ सुचित किया जाता है कि हमारे पूजनीय पिताजी **श्री नाथूराम जी चितोस्या** (यादव) का स्वर्गवास 6.6.2023 को हो गया है। तीये की बैठक 8.6.2023 को सायं 4 से 5 बजे निवास स्थान रावली कोठी श्योसिंहपुरा रेलवे स्टेशन के सामने धानक्या जयपुर पर होगी।

शोकाकुलः सुवालाल (चाचा) रामसहाय, भैरूराम, गोपाल, रामनाथ, सीताराम, राधेश्याम, गोपाल, सीताराम, हरिनारायण, रामस्वरूप (भाई) भैरूराम, रामलाल, कैलाश, रामफूल, लक्ष्मण, शंकर, कानाराम, मालूराम (पुत्र) राहुल, राकेश, कमलेश, विनोद, जिर्तेद्र, अमित (पौत्र) एवं समस्त चितोस्या परिवार।

9799737114, 9928049336

नम्बर मिलाइए 9587884433

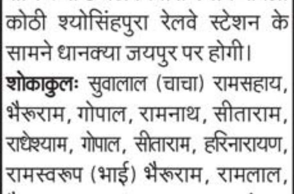

सिर्फ एक फोन कॉल पर विज्ञापन घर बैठे बुक करायें।

न्यायालय तहसीलदार, बस्सी (जयपुर)
पत्रांकः PGKS/2023/45 दिनांक 06.06.2023
आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ग्राम मानगढ़ खोखावाला के ख.न. 98, 161, 175, 176 व अन्य में दर्ज मृतक खातेदार श्रीनारायण पुत्र भोला की विरासत का नामान्तरण संबंधी प्रार्थना पत्र सं. 33/22 रामादेवी बनाम गीता देवी व अन्य न्यायालय में विचाराधीन है। जिसके संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो तो नोटिस प्रकाशित होने के 07 दिवस में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष पेश करें। नियत समय सीमा पश्चात प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही अमल में लाई जायेगी। सूचित रहे। तहसीलदार तहसील- बस्सी जिला- जयपुर

आम-सूचना मेरी अभिभाष्या श्रीमती सुनीता पत्नी श्री जगदीश, निवासी-ग्राम गुढा साईपुरा, मौजमाबाद, जिला जयपुर का पुत्र राजकुमार उसके कहने में नहीं है, अतः मेरी अभिभाष्या द्वारा अपने पुत्र राजकुमार को उसकी समस्त चल-अचल सम्पत्तियों से बेदखल किया जाता है। राजकुमार द्वारा पूर्व में एवं भविष्य में किसी व्यक्ति अथवा संस्था से किये गये किसी भी संव्यवहार के लिए मेरी अभिभाष्या उत्तरदायी नहीं होगी। सूचनार्थ।
जयपुर (ओ.पी. बैरवा) एडवोकेट
दिनांक-07.06.2023 मो.नं. 9414454555

आम सूचना सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी अभिभाष्या श्रीमती मंजू देवी पत्नी स्वर्गीय श्री बसंती लाल गुर्जर निवासी-प्लाट नं. 29 गणेश विहार विस्तार, बैनाड रोड, जयपुर राजस्थान की है मेरी अभिभाष्या का पुत्र ओमप्रकाश गुर्जर मेरी अभिभाष्या के कहने सुनने में नहीं होने के कारण व उसके द्वारा परिवार के विरूद्ध किये जा रहे आचरण से तंग आकर मेरी अभिभाष्या ने अपने पुत्र ओमप्रकाश गुर्जर को अपनी समस्त चल-अचल सम्पत्ति से बेदखल कर अपने घर से निष्कासित कर अपने सम्पूर्ण संबंध समाप्त कर दिये है आज दिनांक के पश्चात मेरी अभिभाष्या के ओमप्रकाश गुर्जर से माता-पुत्र के संबंध समाप्त हो गये है एवं आज के पश्चात मेरी अभिभाष्या व उसके परिजनों का ओमप्रकाश गुर्जर से किसी भी प्रकार का कोई संबंध व सरोकार नहीं रहेगा जो कोई भी व्यक्ति, संस्था, संगठन, इत्यादि मेरी अभिभाष्या के पुत्र ओमप्रकाश गुर्जर से किसी प्रकार का समव्यवहार करेंगे तो उसके लिए वह स्वयं जिम्मेदार होंगे मेरी अभिभाष्या की किसी भी प्रकार से कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। सूचित रहे।
दिनांक-07.06.2023 (राजकुमार, एडवोकेट) मो.9983333472

आम सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अभिभाष्य श्री विनोद तिवारी पुत्र श्री गोपाल प्रसाद तिवारी निवासी 54, शिवशक्ति नगर बी, जगतपुरा रोड, जयपुर राज. हाल निवासी ए-704, त्रिमूर्ति अरियाना रामनगरिया जगतपुरा जयपुर के द्वारा दिनांक 10.02.2023 को इकरारनामा श्रीमति पूजा गुप्ता पत्नी राकेश कुमार निवासी 367, श्री गोपाल नगर से किया गया था, उक्त इकरारनामा प्लॉट नं- बी-14, सालिगरामपुरा, महल रोड, जगतपुरा जयपुर के बेचान हेतु किया गया था। इकरारनामें में वर्णित शर्ते पूरी ना कर पानें व समयावधि निकल जानें के कारण यह इकरारनामा स्वतः निरस्तनीय है व आज दिनांक 08.06.2023 से निरस्त समझा जावें उक्त प्लॉट का स्वामित्व व एकाधिकार सम्पूर्ण रूप से मेरे अभिभाष्य श्री विनोद तिवारी के पास ही है व उपभोग उपयोग हेतु स्वतंत्र है। एडवोकेट विजय लक्ष्मी चेम्बर 31, बी-ब्लॉक, राज. हाई कोर्ट जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या- 7-ड-12 जवाहर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 136.00 वर्ग गज का आवंटन श्री जगदीश चन्द सचदेवा पुत्रश्री चुन्नी लाल को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 1973 दिनांक 05.07.1974 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर नगर में दिनांक 13.12.1974 को करवाया गया। तत्पश्चात श्री जगदीश चन्द सचदेवा पुत्र स्व. श्री चुन्नी लाल सचदेवा के द्वारा डॉ. राकेश सचदेवा पुत्र श्री जगदीशचन्द जी सचदेवा के पक्ष में वसीयतनामा का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक चित्तोडगढ में दिनांक 26.03.2012 को करवाया गया। तत्पश्चात डॉ. राकेश सचदेवा पुत्र स्व. श्री जगदीश चन्द सचदेवा के द्वारा उक्त आवास का बेचान श्रीमती पदमा देवी बदलानी पत्नी स्व. श्री लक्ष्मण दास को कर विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, षष्टम में दिनांक 18.09.2013 को करवाया गया। श्रीमती पदमा देवी बदलानी पत्नी स्व. श्री लक्ष्मण दास के द्वारा आवास के मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के पश्चातवर्ती अंतिम केता का नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः नाम दर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्रीमती पदमा देवी बदलानी पत्नी स्व. श्री लक्ष्मण दास का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जायेगा। सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा कार्यालय आदेश कमांक 5156 दिनांक 13.03.2008 जारी कर आवास संख्या- 5/13 मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 189.00 वर्ग मीटर का हस्तान्तरण श्री सुशील सागर वधवा एवं श्रीमती सन्तोष वधवा के संयुक्त नाम से किया गया था। उक्त दोनों आवंटियों में श्री सुशील सागर वधवा की मृत्यु दिनांक 11.11.2020 को हो जाने के कारण श्री दीपक वधवा पुत्र स्व. श्री सुशील सागर वधवा के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूति बन्धक पत्र, अपंजीकृत वसीयतनामा की छाया प्रति पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास में से श्री सुशील सागर वधवा के हिस्से का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री दीपक वधवा पुत्र स्व. श्री सुशील सागर वाधवा के पक्ष में उक्त आवास में से श्री सुशील सागर वधवा हिस्से का प्रतिस्थापन करने की कार्यवाही कर दी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या- 6/380 मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 165.60 वर्ग मीटर का नियमितिकरण पत्र एवं अदेय प्रमाण पत्र कमांक 98 दिनांक 18.04.1994 श्रीमती सुशील सागर वधवा के पक्ष में जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 23.04.1994 को करवाया गया। श्री सुशील सागर वधवा की मृत्यु दिनांक 11.11.2020 को हो जाने के कारण श्री दीपक वधवा पुत्र स्व. श्री सुशील सागर वधवा के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूति बन्धक पत्र, वसीयतनामा की छाया प्रति पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत कर उक्त आवास में से श्री सुशील सागर वधवा के हिस्से का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री दीपक वधवा पुत्र स्व. श्री सुशील सागर वाधवा के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास/फ्लैट संख्या- 12/107 (जी.एफ.) मालवीय नगर, जयपुर क्षेत्रफल 33.752 वर्ग मीटर का आवंटन श्री ललित मोहन जैन को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 79 दिनांक 11.01.1990 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास/फ्लैट के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर, प्रथम में दिनांक 30.03.2002 को करवाया गया। श्री ललित मोहन जैन की मृत्यु दिनांक 31.05.2006 को हो जाने के कारण श्री प्रदीप निगोतिया पुत्र स्व. श्री ललित मोहन जैन के द्वारा आवेदन पत्र के साथ शपथ पत्र, क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, अपंजीकृत वसीयतनामा की छाया प्रति, राशन कार्ड की छाया प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति एवं वसीयत में अंकित गवाहों का शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास/फ्लैट का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास/फ्लैट के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/ बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री प्रदीप निगोतिया पुत्र स्व. श्री ललित मोहन जैन के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

आम सूचना
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि प्लांट न. 76, योजना ग्रीन पार्क-बी, बैनाड रोड, नांगल जैसा बोहरा, जयपुर क्षेत्रफल 100.00 वर्ग गज को शंकर भवन निर्माण सहकारी समिति लि., जयपुर द्वारा श्री पूरन सिंह को जरिये हस्तान्तरण आवंटन-पत्र दिनांक 17.05.1995 को आवंटित किया गया था। यह श्री पूरण सिंह का स्वर्गवास दिनांक 30.03.2014 को हो गया। श्री पूरण सिंह के स्वर्गवास पश्चात् उनके समस्त वारिसान्/उत्तराधिकारी श्रीमती किरण कंवर (पत्नी), पूजा कंवर व पूनम कंवर (पुत्रीयाँ) एवं श्री मदन मोहन सिंह राठौड़ (पुत्र) ने उक्त प्लांट को विक्रय करने का इकरार श्रीमती कौशल्या देवी से किया है जिसकी खरीद हेतु श्रीमती कौशल्या देवी ने उक्त सम्पत्ति पर ऋण हेतु Indiabulls Housing Finance Ltd. में आवेदन किया है। उक्त सम्पत्ति के बाबत् स्व. श्री पूरण सिंह के उत्तराधिकारी की हैसियत से किसी प्रकार का किसी भी व्यक्ति, संस्था, जनसाधारण आदि को कोई भी आपत्ति हो तो निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष उक्त सूचना के प्रकाशन के 7 दिवस में अपना अधिकार या हक मय दस्तावेज प्रस्तुत करे, अन्यथा Indiabulls Housing Finance Ltd. द्वारा उक्त सम्पत्ति को रहन कर लिया जावेगा एवं उसके पश्चात् किसी प्रकार का कोई हक या अधिकार मान्य नहीं होगा।
दिनांक :- 05.06.2023
(पीयूष भार्गव एडवोकेट)
6, रघुकमल निवास, गणपति प्लाजा के सामने, एम. आई. रोड़, जयपुर फोन नम्बर : 0141-4112154
E-mail:vkbhargavaassociates@gmail.com

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा व्यावसायिक भूखण्ड संख्या- 1/SC/75 इन्दिरा गांधी नगर, जगतपुरा, जयपुर क्षेत्रफल 21.60 वर्ग मीटर का आवंटन शीला कुमारी पुत्री परदेशी राम को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 2912 दिनांक 31.01.2011 जारी किया गया था। तत्पश्चात उनके द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक जयपुर अष्टम में दिनांक 23.03.2011 को करवाया गया। तत्पश्चात सुश्री शीला कुमारी पुत्री श्री परदेशी राम के द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड का मुख्त्यारनामा आम सुश्री जयश्री पुत्री श्री झामन दास को नियुक्त किया गया। उक्त मुख्त्यारनामा आम का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, सप्तम में दिनांक 13.04.2011 को करवाया गया। तत्पश्चात मुख्त्यारनामा आम सुश्री जयश्री पुत्री श्री झामन दास के द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड का बेचान जरिये विकय पत्र के श्री आशु रावत पुत्र श्री प्रकाश चन्द रावत को कर, विक्रय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर अष्टम में दिनांक 29.02.2012 को करवाया गया। (इस विकय पत्र के संबंध में शुद्धि पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर अष्टम में दिनांक 05.03.2012 को करवाया गया।) तत्पश्चात श्री आशु रावत पुत्र श्री प्रकाश चन्द रावत के द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड का बेचान जरीये विकय पत्र के श्री बृजेश सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री बुद्धी लाल तोमर को कर, विकय पत्र का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर प्रथम में दिनांक 09.02.2023 को करवाया गया। श्री बृजेश सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री बुद्धी लाल तोमर के द्वारा उक्त व्यावसायिक भूखण्ड का मूल आवंटी के नाम पंजीयन हो जाने के बाद पश्चातवर्ती अंतिम केता का नाम मण्डल अभिलेख में दर्ज करने बाबत निवेदन किया गया है। अतः नाम दर्ज के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री बृजेश सिंह तोमर पुत्र स्व. श्री बुद्धी लाल तोमर का नाम मण्डल रिकार्ड में दर्ज कर दिया जावेगा। सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल, वृत-तृतीय,
जे.एल.एन. मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर-0141-4901853
आम जाहिर सूचना
राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर द्वारा आवास संख्या- 5-ठ-15 जवाहर नगर, जयपुर क्षेत्रफल 109.00 वर्ग गज का आवंटन श्री श्याम मोहन सहाय पुत्र श्री बृज मोहन सहाय को किया गया था। जिसका आवंटन पत्र कमांक 9137 दिनांक 08.05.1975 एवं संशोधित आवंटन पत्र कमांक 1628 दिनांक 01.11.1978 जारी किया गया था। उनके द्वारा उक्त आवास के पंजीयन प्रपत्रों का निष्पादन कार्यालय उप पंजीयक, जयपुर, प्रथम में दिनांक 25.08.1990 को करवाया गया। श्री श्याम मोहन सहाय की मृत्यु दिनांक 18.08.2019 को हो जाने के कारण श्री शरद सहाय पुत्र स्व. श्री श्याम मोहन सहाय के द्वारा आवेदन पत्र के साथ क्षतिपूर्ति बन्धक पत्र, अपंजीकृत वसीयतनामा की छाया प्रति, मृत्यु प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत एवं वसीयतनामा में अंकित गवाह श्रीमती स्नेह लता सहाय पत्नी स्व. श्री श्याम मोहन सहाय एवं श्री राजकुमार जैन पुत्र श्री सतीश चन्द जैन का शपथ पत्र प्रस्तुत कर उक्त आवास का प्रतिस्थापन अपने नाम करने का निवेदन किया गया है। अतः उक्त आवास के प्रतिस्थापन के संबंध में किसी भी व्यक्ति/बैंक/संस्था को कोई आपत्ति हो तो विज्ञप्ति प्रकाशन के 07 दिवस में अधोहस्ताक्षर कर्ता के कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर साक्ष्य सहित अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर देवें, अन्यथा उक्त अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने पर उक्त आवेदनकर्ता- श्री शरद सहाय पुत्र स्व. श्री श्याम मोहन सहाय के पक्ष में उक्त आवास के प्रतिस्थापन की कार्यवाही कर दी जावेगी। सम्पदा प्रबंधक- वृत तृतीय, रा.आ.मण्डल, जयपुर

आम सूचना मुझे अधिवक्ता द्वारा सूचित किया जाता है कि एक आवासीय पटटेशुदा सम्पत्ति पट्टा संख्या 2354 वार्ड नम्बर 06 श्रीमाधोपुर जिला सीकर में 175.33 वर्गगज की अवस्थित है, जो कि दिनांक 16.12.2003 को लीलाराम पुत्र श्री श्यामलाल हरिजन निवासी श्रीमाधोपुर के नाम से जारी है। जिसका पंजीयन दिनांक 22.06.2018 है। लीलाराम की मृत्यु दिनांक 18.12.2019 को होने के पश्चात उनके विधि वारिस 1. कान्ता, 2. सरोज, 3. कृष्णा पुत्रीयों लीलाराम 4. भंवरी देवी पत्नी श्री लीलाराम, 5. सुभाष चन्द पुत्र लीलाराम ने अपने भाई/पुत्र महेन्द्र कुमार हरिजन के पक्ष में दिनांक 06.02.2023 को हक त्याग विधिवत पंजीकृत करवाया गया है, एवं इसके पश्चात उक्त पट्टे का पट्टा नामान्तरण क्रमांक LSG/SHRIMADHOPUR/MUT/2023/24145661 दिनांक 05.04.2023 नगर पालिका श्रीमाधोपुर द्वारा महेन्द्र कुमार हरिजन पुत्र श्री लीलाराम हरिजन निवासी वार्ड नम्बर 06श्रीमाधोपुर के नाम से जारी है। जिसका पंजीयन दिनांक 13.04.2023 को उप पंजीयन श्रीमाधोपुर किया गयाहै तत्पश्चात महेन्द्र कुमार हरिजन का एकमात्र मालिक एवं स्वामी काबिज चला आ रहा है। उक्त समस्त मूल दस्तावेजों के आधार पर आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लि. शाखा श्रीमाधोपुर के द्वारा ऋण प्राप्त किया जा रहा है। उक्त लीलाराम के अन्य कोई विधिक वारिस हो या इसमें किसी भी व्यक्ति, संस्था, फर्म इत्यादि को उज्र या आपत्ति हो तो पन्द्रह दिवस में आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक लि. शाखा श्रीमाधोपुर या मुझे अधिवक्ता को सूचित करें।
दिनांक-06.06.2023 मनोज शर्मा, एडवोकेट
नोटेरी पब्लिक श्रीमाधोपुर (सीकर), रजि.नं. 14164

कार्यालय नगर पालिका, रींगस, जिला-सीकर (राज.)
SR.No.-न.पा.री/2023-4/1245 DATE- 07.06.2023
Email- ringas.jaipur@gmail.com
आपत्ति आमंत्रण सूचना
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री दीपक धींगडा पुत्र प्रेमसागर धींगडा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय रींगस के पास नीलामी में आवंटित दुकान संख्या 17 जिसकी नाप 10 x 10 फीट है तथा श्री निखिल धींगडा पुत्र प्रेमसागर धींगडा ने आवंटित दुकान संख्या 18 जिसकी नाप 10 x 10फीट है के पट्टा हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है। आवेदकों ने मूल नीलामी आवंटन पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। प्रकरण में भू आवंटन के पश्चात मूल भू आवंटन धारको द्वारा जरिए इकरारनामा द्वारा उक्त आवेदकों को दुकान विक्रय की गई थी। अतः आमजन को आपत्ति आमंत्रण सूचना द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार प्रकरण में पट्टा देने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो कार्यालय में 07 दिवस में अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत करावें। बाद मियाद अवधि नियमानुसार राजस्थान नगरीय भूमि निस्तारण नियम 1974 के प्रावधानों के तहत प्रकरण का निस्तारण कर दिया जावेगा। सूचित हो।
(सीताराम कुमावत) अधिशाषी अधिकारी
नगर पालिका, रींगस, जिला सीकर (राज.)

नाम परिवर्तन

मैं यश गुप्ता, मेरी 10वीं, 12वीं की मार्कशिट में मेरे पिताजी का नाम सुभाष गुप्ता है जो कि गलत है सही नाम सुभाष चन्द गुप्ता है। निवासी F-1, Plot No. 09 Shiv Residency, Shankar Vihar, Murlipura, Jaipur. For All Purposes.

मैंने अपना नाम Khatoon से बदलकर Khatun Begam रख लिया है। मो. 9929499060

मैं नं. 18024967W सैपर प्रसेनजीत सरकार, भारतीय सेना की 60, इंजीनियर रेजीमेंट में कार्यरत हूँ। मेरी माताजी श्रीमती कल्पना सरकार जिनकी सही जन्मतिथी 01.01.1975 है। मेरे सर्विस डोक्यूमेंट में मेरी माताजी की जन्मतिथी 19.02.1975 है। जो कि गलत है। मैं अपने सर्विस डोक्यूमेंट में अपनी माताजी की जन्मतिथी 01.01.1975 अंकित कराना चाहता हूँ।

मैंने विवाहोपरान्त अपना नाम लाजवन्ती सिन्धी पुत्री श्री शीतलदास से बदलकर लिपाक्षी रामचन्दानी पत्नी श्री मुकेश रामचन्दानी रख लिया है। भविष्य में मुझे लिपाक्षी रामचन्दानी के नाम से जाना जावें। लिपाक्षी रामचन्दानी पत्नी मुकेश रामचन्दानी पता सी-52, रामनगर शोपिंग सेन्टर, शास्त्री नगर जयपुर-302016 (राजस्थान)

I have changed the name of my son from Lavanya Bhatia to Shivaay Bhatia for all future purpose. Amit Bhatia R/o 33, Gurunanakpura, Near Hanuman Dhaba, Rajapark, Jaipur-302004

I, Vinita Maheshwari D/o Ram Swaroop Biyani and W/o Hari Narain Parwal, resident of J-181-G, Sangram Colony, Mahaveer marg, Cscheme, Jaipur (302001) have changed my name from Vineeta Parwal to Vinita Maheshwari for all future purpose.

I army no 10303843 P Ex LNK Suresh Sharma S/O Ramniwas Sharma R/O village ambapura post malpura teh.malpura dist tonk have changed my son name from Raj SHEKHAR(DOB 30/9/2000) To RAJ SHEKHAR SHARMA (DOB 8/2/2002) and daughter SUMAN (DOB 31/12/2003) To SUMAN SHARMA (6/10/2004) vide affidavit dated 6jun 2023 before district notary Jaipur